3

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

No.96/Sec(E)/PM-I/6 New Delhi, dated: .04.96 22-5-96

Directive|Standing Order No.1 of 1996

Chief Security Commissioner/RPF
All Indian Railways

Chief Security Commissioner/RPSF
Railway Board

Sub: Holding of selections for promotion on Zonal Railways.

****

It has come to my notice that selections for promotion in various ranks are not being held on regular intervals on zonal railways with the result the panels for promotions are not published in time.

You will bear with me that non-holding of selections in time results in delay in grant of promotions to staff which in turn adversely affects discipline and morale of the Force.

I would therefore, like all the CSCs to ensure that DPCs are constituted and regular selections including supplementary selections are held in time for promotion of various categories of staff (HK to IPF) in time. In this connection your attention is invited to chapter V of RPF Rule, 1987 vide which detailed procedure for holding of selections has been laid down.

With a view to ensure uniformity and timely holding of selections and publication of panels for promotion on all zonal railways following schedule is hereby laid down for strict compliance :-

CATEGORY	SELECTION/ SUPPLEMENTARY SELECTION TO BE COMPLETED BY	APPROVAL AND PUBLICATION OF PANEL BY
Const. - Naik	15th. May every year	31st May every year
Naik - H.C	15th. June every year	15th. July every year
H.C - ASI	15th. July every year	15th. August every year
ASI - SI	15th. Aug. every year	15th. Sept. every year
SI - IPF(Gr.II)	15th. July * every year	1st. Sept. every year
IPF Gr.II- IPF Gr.I	This being a non-selection post the vacancies in each zonal railways should be filled up by CSCs as and when the vacancy occurs.	

* Proceedings in respect of SI to IPF (Gr.II) should be sent to Railway Board by 1st week of August each year for approval of DG/RPF.

By end of Sept. every year, CSCs should send a certificate that selections for promotion in each ranks under Rule-70 & 72 of RPF Rules - 1987 have been held and panels declared.

The Committees for holding selection from SI to IPF (Gr.II) for various zonal railways have already been constituted vide this office letter No.95/Sec(E)/PM-3/4 dated 20.12.95.

CSCs will be personally responsible for strict compliance of the above schedule/ instructions. Any deviation would be viewed seriously.

(Joginder Singh)
Director General/R.P.F

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 96/सिक(ई)/पी एम-3/6 नई दिल्ली, दिनांक .5.96

स्थायी आदेश सं. 1/1996

मुख्य सुरक्षा आयुक्त,
रेल सुरक्षा बल,
सभी भारतीय रेलें.

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/
रेल सुरक्षा विशेष बल,
रेलवे बोर्ड.

विषय :- क्षेत्रीय रेलों में पदोन्नति के लिए प्रवरण आयोजित करना ।

. . . . .

मेरे ध्यान में यह आया है कि क्षेत्रीय रेलों पर विभिन्न पदों में पदोन्नति के लिए प्रवरण नियमित अंतराल पर नहीं आयोजित किये जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप पदोन्नति के लिए पैनल समय पर प्रकाशित नहीं हो रहे हैं ।

आप मुझसे सहमत होंगे कि समय पर प्रवरण न होने के कारण कर्मचारियों की पदोन्नति देर से होती है जिससे बल के अनुशासन एवं मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है ।

अतः मैं चाहूँगा कि सभी मुख्य सुरक्षा आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि विभागीय पदोन्नति समितियां बनायी जाए एवं (नायक से आई पी एफ तक) कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की पदोन्नति हेतु नियमित प्रवरण सहित पूरक प्रवरण समय पर किये जाते हैं । इस विषय में आपका ध्यान रेल सुरक्षा बल नियम, 1987 के अध्याय V की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रवरण करने की विस्तृत कार्यविधि का वर्णन किया गया है ।

....../-

सभी क्षेत्रीय रेलों में प्रवरणों को समय पर करवाने एवं पदोन्नति के पैनल के प्रकाशन में एकरूपता सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से निम्नलिखित अनुसूची बनाई गई है जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए :-

श्रेणी	प्रवरण/पूरक प्रवरण तक पूरा हो जाना चाहिए	पैनल का प्रकाशन एवं अनुमोदन तक पूरा हो जाना चाहिए
कांस्टेबल -नायक	हर वर्ष 15 मई	हर वर्ष 31 मई
नायक-हैड कांस्टेबल	हर वर्ष 15 जून	हर वर्ष 15 जुलाई
हैड कांस्ट. -ए एस आई	हर वर्ष 15 जुलाई	हर वर्ष 15 अगस्त
ए एस आई-एस आई	हर वर्ष 15 अगस्त	हर वर्ष 15 सितंबर
एस आई-आई पी एफ (श्रेणी ।।)	हर वर्ष 15 जुलाई *	हर वर्ष 1 सितंबर
आई पी एफ श्रेणी-।। आई पी एफ श्रेणी-।	यह गैर प्रवरण पद है अत: सभी क्षेत्रीय रेलों पर रिक्त स्थान जब कभी उत्पन्न हों मु. सु. आ. द्वारा भरी जाए ।	

* एस आई से आई पी एफ (श्रेणी-।।) के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही को प्रत्येक वर्ष के अगस्त माह के प्रथम सप्ताह तक रेलवे बोर्ड में महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल को अनुमोदनार्थ भेजा जाए ।

प्रत्येक वर्ष सितंबर के अंत में मुख्य सुरक्षा आयुक्तों को इस बात का प्रमाण पत्र भिजवाया जाए कि रेल सुरक्षा बल नियमों के नियम 70 एवं 72 के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी के पदों का प्रवरण आयोजित किया गया है एवं पैनल घोषित कर दिया गया है ।

......./-

विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के लिए एस आई से आई पी एफ (श्रेणी-II) के प्रवरण आयोजित करने के लिए समितियों का गठन इस कार्यालय के दिनांक 20.12.95 के पत्र सं. 95/सिक(ई) पी एम-3/4 के द्वारा पहले ही किया जा चुका है ।

मुख्य सुरक्षा आयुक्त उपरोक्त अनुसूची/अनुदेशों के कड़ाई से अनुपालन के लिए स्वंय उत्तरदायी होंगे इसमें किये गए किसी विचलन को गंभीरता-पूर्वक लिया जाएगा ।

(जोगिन्दर सिंह)
महा निदेशक/रेल सुरक्षा बल.